न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
77 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	16.12.2016	22.06.2022

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.......आवेदक

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार मंगल पुत्र श्री बृजमोहन मंगल विक्रेता / प्रबंधक मैसर्स बृजमोहन नौरत मल धान मण्डी चौराहा देवली जिला टोंक राज. निवासी धान मण्डी चौराहा देवली जिला टोंक राज.
2–मैसर्स बृजमोहन नौरत मल धान मण्डी चौराहा देवली जिला टोंक राज.
3–श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री नन्द लाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक राज. निवासी पुलिस स्टेशन के सामने निवाई जिला टोंक राज.
4–मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक राज.
5–श्री महेश गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर पीतल फैक्ट्री जयपुर राज.
6– मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर पीतल फैक्ट्री जयपुर राज.
7–श्री डी.के. अस्थाना पुत्र श्री किशन मोहन लाल नॉमिनी मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड ए–1, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश निवासी क्वार्टर नं. 8 द्वितीय 78, ओबरा जिला सोन भद्रा उत्तरप्रदेश
8– मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड ए–1, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 22.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.02.2016 को समय 11:50 ए.एम. पर मैसर्स बृजमोहन नौरत मल धान मण्डी चौराहा देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ श्री दिनेश कुमार मंगल पुत्र श्री बृजमोहन मंगल मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिनेश कुमार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मंगल ने स्वयं को मैसर्स बृजमोहन नौरत मल धान मण्डी चौराहा देवली जिला टोंक राज. का विक्रेता/प्रबंधक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में **बिस्किट चीज केकर्स प्रिया गोल्ड (Biscuits Cheese Crackers Priya Gold)** 200 ग्राम के 32 नग रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री दिनेश कुमार मंगल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री दिनेश कुमार मंगल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **बिस्किट चीज केकर्स प्रिया गोल्ड (Biscuits Cheese Crackers Priya Gold)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किए जा रहे है, 200–200 ग्राम के 4 नग कुल 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **बिस्किट चीज केकर्स प्रिया गोल्ड (Biscuits Cheese Crackers Priya Gold)** 200–200 ग्राम के 4 नग को 200–200 ग्राम के एक–एक नग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखा एवं प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया एवं चारो नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–1301 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1301 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री दिनेश कुमार मंगल पुत्र श्री बृजमोहन मंगल विक्रेता/प्रबंधक मैसर्स बृजमोहन नौरत मल धान मण्डी चौराहा देवली जिला टोंक राज. ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक राज. का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स अरविन्द एजेन्सीज सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज एवं मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शान्ति नगर, शीतल फैक्ट्री जयपुर राज. का वारंटी पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने मैसर्स श्री श्याम एजेन्सीज ए–23–बी, शास्त्री नगर पीतल फैक्ट्री जयपुर राज.को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज एवं मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड ए–1, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का वारंटी पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स सूर्या फूड एण्ड एग्रो लिमिटेड ए–1, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से सम्पर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज प्रेषित किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/1842 दिनांक 04.05.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/101/एक्ट/2016/151 दिनांक 10.03.2016 के अनुसार विक्रेता श्री दिनेश कुमार मंगल से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **बिस्किट चीज क्रेकर्स प्रिया गोल्ड (Biscuits Cheese Crackers Priya Gold)** एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **बिस्किट चीज क्रेकर्स प्रिया गोल्ड (Biscuits Cheese Crackers Priya Gold)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 31.03.2017 को श्री अनिमेष ओझा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेकिंग दी गई एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा गया एवं उनके द्वारा बार–बार वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहे गये परन्तु 25 अवसर देने के बावजूद भी आदिनांक तक कोई वकालतनामा पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। प्रकरण में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **बिस्किट चीज क्रेकर्स प्रिया गोल्ड (Biscuits Cheese Crackers Priya Gold)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्राथी के पास से लिया गया **बिस्किट चीज क्रेकर्स प्रिया गोल्ड (Biscuits Cheese Crackers Priya Gold)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) व अप्रार्थी संख्या 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.06.2022 से एक माह के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(पदाभिहित अधिकारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0